कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

पत्रांक– 476 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक– 14-8. 2017.

सेवा में,

प्रबन्धक,
रिलाइन्स जियो इन्फोकाम लि0,
रोहतास के टेरिडेन्ट सेकेण्ड फ्लोर,
10 महाराणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

विषयः– ओबरा एवं रेनुकूट वन प्रभाग की में0 रिलाइन्स जियो इन्फोकाम लि0 की ओ0एफ0सी0 केबिल वन भूमि में भूमिगत ओ0एफ0सी0 बिछाने हेतु समेकित प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– में0 रिलाइंस जियो इन्फोकाम लि0 का पत्र संख्या–RJIL/OFC/NLD /WEST/ UP/OBRA /INTERCITY/EAST/UP/OBRA/FOREST/12-1 DAte 29.04.2017, इस कार्यालय का पत्रांक–3947/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–31.05.2017, मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के कार्यालय का पत्रांक–548/मी0/33 दिनांक–04.08.2017, पत्रांक–717 /मी0/15 भू0ह0 दिनांक–14.08.2017 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–409/11–सी दिनांक–14.08.2017.

महोदय,

अवगत कराना है कि में0 रिलाइंस जियो इन्फोकाम लि0 ने अपने कार्यालय का पत्र संख्या–RJIL/OFC/NLD /WEST/ UP/OBRA/INTERCITY/EAST/UP/OBRA/FOREST/12-1 DAte 29.04.2017 द्वारा डाला रेंज के अन्तर्गत वाराणसी शक्तिनगर मार्ग(एस0एस0–5ए) के क़िमी0 संख्या 87 से 115 कुल 28किमी0 तथा चौड़ाई 0.10मीटर, क्षेत्रफल 0.2901है0 वन भूमि में भूमिगत आप्टिकल फाईबर केबिल बिछाये जाने हेतु प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ OTHERS/ 24318/2017 Dated 14.02.2017 आन लाईन आवेदन करते हुए, प्रस्ताव की हार्ड कापी चार प्रतियों में प्राप्त कराया गया था। जिसके क्रम में उक्त प्रस्ताव चार प्रतियों में तैयार कर इस कार्यालय का पत्रांक–3947/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–31.05.2017 द्वारा मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को प्रेषित किया गया। मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर के कार्यालय का पत्रांक–548/मी0/33 दिनांक–04.08.2017 द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित किया गया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर–प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक–409/11–सी दिनांक–14.08.2017 द्वारा प्रस्ताव के ऑनलाइन एवं हार्डकॉपी में कमियां दर्शायी गयी हैं।

अतः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर–प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक–409/11–सी दिनांक–11.08.2017 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर आपत्ति का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध करानें का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(अमर बहादुर)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या 476 अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोंडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमर बहादुर)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

DFO Obra

O/C

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक– 409 /11–सी– लखनऊ, दिनांक: अगस्त 11 ,2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मिर्जापुर क्षेत्र,
मिर्जापुर।

विषयः– ओबरा एवं रेनूकूट वन प्रभाग की मे0 रिलायन्स जियों इन्फोकाम लि0 की ओ0एफ0सी0 केबिल वनभूमि में भूमिगत ओ0एफ0सी0 बिछाने हेतु समेकित प्रस्ताव के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भः– आपके कार्यालय का पत्रांक–548/मिर्जापुर/33, दिनांक–04.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा ओबरा एवं रेनूकूट वन प्रभाग का प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसमें परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव के आनलाईन एवं हार्ड कापी में निम्नलिखित कमियां पायी गयी है:–

- रेनुकूट वन प्रभाग (प्रस्ताव सं0 – FP/UP/others/24371/2017)

1– भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु प्रस्तावित वनभूमि की कानूनी स्थिति आरक्षित अंकित की गयी है जो त्रुटिपूर्ण है।
2– प्रस्तावित वनभूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map संलग्न है किन्तु के0एम0एल0 फाइल शेप की सी0डी0 संलग्न नहीं है।
3– वनाधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है जो स्वीकार्य नही है। अतः मूल प्रमाण–पत्र संलग्न कर ऑन लाईन अपलोड करे।
4– गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है किन्तु सम्बन्धित मार्ग को चिन्हित नही किया गया है।
5– हार्डकापी भाग–2 में हरियाली का घनत्व अंकित नही है।
6– आनलाईन भाग–2, Additional information details में कोई प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है। अतः सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करें।
7– आनलाईन पार्ट–1 प्रस्ताव के साथ संलग्न नही है।
8– हार्डकापी भाग–2 में जिले का वन क्षेत्रफल जिलें के भौगोलिक क्षेत्रफल से अधिक अंकित किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।
9– दोनों वन प्रभाग का ऑन लाईन प्रस्ताव अलग–अलग अपलोड किया गया है, जिसे आपस में समेकित कर प्रस्तुत किया जाना उचित नही है। अतः रेनूकूट वन प्रभाग का प्रस्ताव अलग प्रस्तुत कर कमवार पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये संशोधित विषयसूची संलग्न करे।
10– दोनों वन प्रभागों का मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति सहित भाग–3 अलग–अलग संलग्न करे।

- ओबरा वन प्रभागः– (प्रस्ताव सं0 – FP/UP/others/24318/2017)

1– याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु प्रयोक्ता अभिकरण का नाम व दिनांक अंकित नही है।
2– भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है किन्तु प्रस्तावित वनभूमि की कानूनी स्थिति स्पष्ट अंकित नही की गयी है।
3– प्रस्तावित वनभूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map संलग्न है किन्तु के0एम0एल0 फाइल शेप की सी0डी0 संलग्न नहीं है।
4– वनाधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है जो स्वीकार्य नही है। अतः मूल प्रमाण–पत्र संलग्न कर ऑन लाईन अपलोड करे।
5– गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित व चिन्हित छायाप्रति संलग्न नही है।
6– आनलाईन भाग–2, Additional information details में कोई प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है। अतः सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करें।
7– आनलाईन पार्ट–1 प्रस्ताव के साथ संलग्न नही है।
8– दोनों वन प्रभाग का ऑन लाईन प्रस्ताव अलग–अलग अपलोड किया गया है, जिसे आपस में समेकित कर प्रस्तुत किया जाना उचित नही है। अतः ओबरा वन प्रभाग का प्रस्ताव अलग प्रस्तुत कर कमवार पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये संशोधित विषयसूची संलग्न करे।
9– दोनों वन प्रभागों का मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति सहित भाग–3 अलग–अलग संलग्न करे।

उपरोक्त दोनो वन प्रभागों में इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात, संशोधित प्रस्ताव अलग–अलग इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की दों मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–409 / 11–सी–, दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट एवं ओबरा।
2. प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0, रोहतास के टेरिडेन्ट सेकेण्ड फ्लोर, 10 राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

ACY- 1269